

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राज0)

क्रमांक :- 62

दिनांक: 27.10.23

::: आदेश :::

मैं गौरव शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ एतद्वारा धारा 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह अक्टूबर, वर्ष 2023 में घोषित राजकीय अवकाश व अन्य अवकाश के दिनों में झालावाड़ न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकारिता के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्य यथा न्यायिक अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा, निरोध अवधि की अभिवृद्धि, अंतर्गत धारा 167 दण्ड प्रक्रिया संहिता, आवश्यक प्रकृति के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता, सुपुर्दगी आवेदन अंतर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता, गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के संबंध में आदेश, मृत्युकालीन कथन, धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा जाँच, 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन व अन्य इसी प्रकृति के सभी आवश्यक फौजदारी कार्य करने के लिए निम्नलिखित अवकाश के दिनों में निम्न न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ:-

क्र. सं.	अवकाशकालीन न्यायिक अधिकारी का नाम मय पद	मोबाईल नं0	अवधि
01.	श्रीमती शिल्पी बंसल, ए.सी.जे.एम. सं. 01 झालावाड़	8386909409	01.10.2023 व 02.10.2023
02.	श्री दिनेश कुमार शर्मा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जे.जे.बी., झालावाड़	9460850689	08.10.2023
03.	श्री मनोज सिंह फौजदार, ए.सी.जे.एम. सं. 02 झालावाड़	9413160735	14.10.2023 व 15.10.2023
04.	श्रीमती जया अग्रवाल, जे.एम. भवानीमण्डी	9509941750	22.10.2023, 23.10.2023 व 24.10.2023
05.	श्री अंकुर अग्रवाल, ए.सी.जे.एम. झालरापाटन	9829715535	28.10.2023 व 29.10.2023

उपरोक्त अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना करेंगे-

- 01- अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों के सहयोग से समय 11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम. तक सम्पादित करेंगे।
- 02- अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट, अपने न्यायालय में निर्धारित समय में उपस्थित रहेंगे अथवा आवश्यक प्रकृति के कार्य खत्म होने तक।
- 03- उपरोक्त न्यायालय समय समाप्त होने के पश्चात अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे, बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।
- 04- उपरोक्त अवकाशकालीन अधिकारी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कार्य करने में असमर्थ होने की दृष्टि में एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।
- 05- उपरोक्त कार्य दिवस के संबंध में नियुक्त अधिकारी आपस में आपसी सहमति से तिथियों का बदलाव इस कार्यालय को सूचित कर सकेंगे।
- 06- यदि संभव हो तो अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट उस दिन निष्पादित किए गए कार्य का लेखा जोखा एक रजिस्टर के रूप में रखेंगे।

- 07- अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट जिस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का कार्य सम्पादित करेंगे समस्त दस्तावेजात संबंधित न्यायालय को यथा शीघ्र प्रेषित करेंगे।
- 08- न्यायिक अभिरक्षा वारण्ट व रिमाण्ड आदेश पर आगामी तिथि पर संबंधित न्यायालय में पेश करने का नोट अंकित करेंगे।
- 09- अधिकारीगण अपने पद व सील के नीचे अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट का अंकन करेंगे।
- 10- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी तथा उपरोक्त अवकाश दिवस के आगामी दिन/दिनों में किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी आगामी दिवस/दिवसों के लिए भी अवकाशकालीन अधिकारी समझा जावेगा। जिन भी न्यायिक अधिकारियों की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है, अवकाश के एक दिन पूर्व कार्यालय समय पश्चात् से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक उनकी रिमाण्ड ड्यूटी प्रभावी होगी।
- 11- इसके अतिरिक्त उपरोक्त सारणी अनुसार ड्यूटीरत अधिकारी राज्य अथवा राज्य के बाहर से झालावाड़ पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के झालावाड़ प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी करेंगे।

नोट:- उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले मामले अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/लिंक अधिकारी यदि मुख्यालय पर उपलब्ध हो तो आवश्यक प्रकृति के उपरोक्त कार्य करने हेतु इस आदेश से बाधित नहीं रहेंगे।

— Sd —

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालावाड़।

क्रमांक- 1171

दिनांक- 27/09/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय झालावाड़
- 02- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ संख्या 01 एवं 02/भवानीमण्डी / अकलेरा / मनोहरथाना / झालरापाटन / चौमहला
- 03- न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ / खानपुर / पिड़ावा / भवानीमण्डी / अकलेरा
- 04- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, झालरापाटन।
- 05- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।
- 05- प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड़।
- 06- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
- 07- प्रभारी अधिकारी वायरलैस केन्द्र झालावाड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिए वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
- 08- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को झालावाड़ न्याय क्षेत्र की **Website- jhalawar.dcourts.gov.in** पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
- 09- आदेश / संबंधित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालावाड़।